बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

पत्रांक प्र03/विविध-नि0-58/08 6896 /खाद्य,पटना-15, दि0 26.11.08

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम,
सोन भवन,पटना ।

विषय:- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।

प्रसंग:- प्रमुख प्रशासन का पत्रांक 7677 दिनांक 16.9.08

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि वित्त विभाग के परामर्शानुसार बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के नियम-1(2) में दिये गये प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0 सी0पी0) की सुविधा अनुमान्य नहीं है ।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव ।

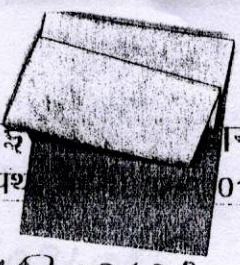

(14)

(93)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइ[illegible]न लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल,बीरचन्द पटेल पथ[illegible]01

पत्र संख्या– 7517 पटना, दिनांक– 10/09/08

प्रेषक,

प्रमुख प्रशासन,
मुख्यालय,पटना ।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार पटना।

विषयः– **ए0 सी0पी0 का लाभ निगम कार्मिकों को देने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–5506 दिनांक–03–07–08 एवं 5908 दिनांक–21–07–08 का कृपया स्मरण किया जाय। उक्त पत्र के द्वारा निगम कर्मियो को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ दिया जायेगा कि नहीं इस सम्बन्ध में सूचना देने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु वांछित सूचना अप्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि निगम में बिहार सेवा संहिता लागू है फलस्वरूप निगम कर्मियो को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति अन्य सारी सुविधाएँ दी जा रही है।

अतः कृपया सूचना दी जाय कि सरकार द्वारा इस योजना का लाभ क्या निगम कर्मियों को भी प्राप्त हो सकती है।

विश्वासभाजन,

प्रमुख प्रशासन।
10/9/08

(13)

(95)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

सोन भवन, 5वीं मंजिल,बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्र संख्या– 7677 पटना, दिनांक– 16/09/08

प्रेषक,

प्रमुख प्रशासन,
मुख्यालय,पटना।

17.9.08

सेवा में,

सरकार के सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय: **ए0सी0पी0 का लाभ निगम कर्मियों को देने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि निगम निदेशक पर्षद के मद सं0 129.5 दिनांक 10–06–08 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक–5506 दिनांक–03–07–08 एवं 5908 दिनांक–21–07–08 एवं 7517 दिनांक 10–09–08 के द्वारा वित्त विभाग से सूचना मांगी गई थी कि निगम कर्मियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्राप्त हो सकती है ? क्योंकि निगम में बिहार सेवा संहिता लागू है, तदनुसार राज्य कर्मियों के अनुरूप सारी सुविधाएँ निगम कर्मियों को प्राप्त है । निगम कर्मियों द्वारा ए0सी0पी0 की मांग काफी दिनों से की जा रही है। निगम कर्मियों को ए0सी0पी0 की सुविधा देने सम्बन्धी वांछित वित्त विभाग से अब तक अप्राप्त है। वित्त विभाग का कहना है कि इस सम्बन्ध में प्रशासी विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि निगम कर्मियों को ए0सी0पी0 की सुविधा देने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

16/9

प्रमुख प्रशासन।

16/9/08

(12) (75)

दिनांक 10.06.2008 को 4.00 बजे अपराह्न में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के कार्यालय कक्ष में बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के निदेशक पर्षद की 129वीं बैठक की कार्यावाही।

उपस्थिति :–

1.	श्री अनूप मुखर्जी, भा0 प्र0 से0	–	निदेशक
2.	श्री त्रिपुरारि शरण, भा0 प्र0 से0	–	निदेशक
3.	श्री त्रिपुरारि शरण, भा0 प्र0 से0	–	प्रबंध निदेशक
4.	श्री सुनील कुमार सिंह, वि0 प्र0 से0	–	निदेशक

निदेशक पर्षद की बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री अनूप मुखर्जी, भा0 प्र0 से0 के द्वारा की गयी। श्री त्रिपुरारि शरण, प्रबंध निदेशक के द्वारा क्रमवार कार्यावली प्रस्तुत की गयी एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये

क्र0 सं	प्रस्ताव	निर्णय
129. 1.	दिनांक 08.01.2008 को हुई निदेशक पर्षद की 128वीं बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की जाय।	**सम्पुष्टि की गई।**
129. 2.	निदेशक पर्षद की 128वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रस्तुत किया गया।	**अवलोकित।**
129. 3.	बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या–2205 दिनांक 02.05.08 के द्वारा निदेशक पर्षद का पुनगर्ठन पर्षद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।	**अवलोकित।**
129. 4.	बिस्कोमान को Non-incumbered property of equal or greater value का Mortgage पर खरीफ/अधिप्राप्ति मूल्य भुगतान के लिए निगम के निदेशक पर्षद की 128वीं बैठक में 05 करोड़ रूपये के स्वीकृत ऋण को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए रूपान्तरित करने में	प्रबंध निदेशक के द्वारा बताया गया कि ऋण की राशि का उपयोग राज्य सरकार में उच्च स्तरीय बैठक में हुए विचार–विमर्श के आलोक में बिस्कोमान द्वारा धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए किया जा

स्वीकृति प्रदान की जाय।

रहा है। बिस्कोमान द्वारा अन्य कोई मद में राशि का विचलन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गेहूँ अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 जुलाई 2008 तक के लिए विस्तारित की गयी है।

विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अधिप्राप्ति की समय सीमा के उपरान्त ऋण की राशि बिस्कोमान से वापस ले ली जाय।

129. 5. राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप राज्य खाद्य निगम के कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (ACP) की सुविधा प्रदान करने में स्वीकृति प्रदान की जाय।

सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर लिया जाय कि सरकार द्वारा इस योजना का लाभ क्या निगम कर्मियों को भी प्राप्त हो सकता है?

2. योजना का लाभ देने की स्थिति बनने पर कर्मियों का विवरण यथा वेतनमान, नियमित नियुक्ति तिथि, प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि, वित्तीय भार आदि की सूचना प्रस्तुत की जाय।

3. सभी गणना एवं आकलन राज्य सरकार में निर्गत परिपत्र के अनुरूप हो।

129. 6. उपादान के संबंध में प्रस्ताव है कि–

(अ) नवम्बर 1988 से LIC की Group Gratuity Scheme की Policy Lapse हो जाने के फलस्वरूप LIC में उपलब्ध राशि कर्मियों की सूची एवं उन्हें देय राशि के साथ निगम वापस लेकर इसका स्वयं विनियोग

विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित सूचनायें पर्षद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिये गया:–

(क) Lapsed Policy के विरूद्ध कर्मीवार कुल कितनी राशि

(10) (13)

	करे। जिस कर्मी को जब उपादान देय हो उससे संबंधित राशि की निकासी कर देय उपादान की राशि के साथ सम्मिलित कर पूर्व की भांति उपादान का भुगतान करे।	LIC से प्राप्त होगी। (ख) lapsed policy के विरूद्ध उपलब्ध राशि पर LIC कोई ब्याज दे रहा है अथवा नहीं अगर ब्याज दे रहा है तो उसका प्रतिशत। (ग) निगम द्वारा LIC से राशि वापस प्राप्त करने पर अवकाश प्राप्त कर्मियों की तिथि अनुसार Staggering period के विनियोग पर निगम किस दर पर ब्याज प्राप्त करेगा। (घ) उदाहरण के तौर पर एक या दो मामले प्रस्तुत किये जायें जिससे यह स्पष्ट हो कि LIC से प्राप्त राशि एवं निगम द्वारा देय अन्तर राशि का अनुपात कितना होता है।
	(ब) राज्य सरकार की भांति एवं Gratuity Act की धारा–4 (3) के प्रावधान के अनुरूप ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।	**स्वीकृत**
129.7	निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान् में संशोधन का लाभ देने में स्वीकृति प्रदान की जाय।	**प्रबंध निदेशक इसकी समीक्षा कर प्रस्तुत करेंगे।**
129. 8.	पूर्णियाँ जिला इकाई के राजस्व जिला किशनगंज को निगम के कटिहार जिला इकाई के साथ दिनांक 13.05.2008 से सम्बद्ध करने संबंधी निर्गत आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाय।	**स्वीकृत**
129.9	वित्तीय वर्ष 1987–88 के वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है:–	**स्वीकृत** स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 13.06.2008 को

(09)

" THAT the audited accounts i.e. Profit & Loss Account and Balance Sheet with schedules annexed thereto and the Auditor's report for the year 1987-88 and the Director's report with replies of the Management on audit observations as placed before the Board be and is hereby approved and directed to be issued to Shareholders.

THAT the adjourned Annual General Meeting of the Shareholders for the year 1987-88 be convened on ..... the ..... at .....AM/PM in the Office Chamber of ....."

THAT the Managing Director and one of the Director be and are hereby authorized to sign the accounts and file returns with the Registrar of Companies."

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में 4.00 बजे अपराह्न में आयोजित की जाय।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम एवं श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किये गये।

129.10 शेयर हस्तानान्तरण से संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाय।

स्वीकृत

129.11 वार्षिक लेखा का अंकेक्षण अद्यतन करने एवं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करने संबंधी कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

विमर्शोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

1. महालेखाकार के द्वारा Goods in transit, Remittance in transit एवं अग्रिम के संबंध में अंकित CAG comments का Reconciliation शीघ्र किया जाय एवं इसकी लगातार समीक्षा की जाय।
2. वार्षिक लेखा का वैधानिक अंकेक्षण अद्यतन करने एवं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करने संबंधी कार्य में प्रगति लायी जाय तथा लंबित

08

71

		विभिन्न वर्षों के कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम पर्षद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें। 3. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, जानना चाहे कि लगभग 20 वर्षों का वैधानिक अंकेक्षण क्यों लंबित रहा है।
129.12	निगम कार्मिकों के समान प्रोन्नति हेतु कालावधि निर्धारण संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाय।	राज्य सरकार में निर्गत आदेश के अनुरूप स्वीकृत।
129.13	निगम कार्मिकों का स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर सेवा सम्पुष्ट करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।	(i) पूर्णतया सरकार में निर्धारित मापदण्ड एवं नियमों संबंधी निर्गत आदेश के अनुरूप स्वीकृत। (ii) Initial appointment की वैधता examine कर ली जायेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
अध्यक्ष

ज्ञापांक– 4921

दिनांक– 13/06/08

प्रतिलिपि सभी निदेशकगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/06/08
प्रबंध निदेशक

(68) (70)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0
सोन भवन 5वी मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

संलेख

मद संख्याः–

विषयः–निगम कर्मिकों के लिए राज्य कर्मियों की भाँति सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में।

निदेशक पर्षद के संकल्प सं0–119.6 दिनांक–22–07–06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में महाधिवक्ता बिहार से यह मतव्य प्राप्त है कि वर्तमान में निगम कार्मिकों के लिए बिहार सेवा संहित निगम में लागू है । तदनुसार राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप निगम कार्मिकों की सेवा निवृति आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष निगम के ज्ञापांक–5600 दिनांक–29–07–06 से कर दी गई है।

विदित हो कि राज्य के सेविवर्ग को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त नियमावली 2003 के द्वारा सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है । इस योजना के अधीन राज्य सरकार के ग्रुप बी0सी0 एवं डी0 के वैसे नियमित कर्मियों को जिन्हें अपने सेवा के दौरान किसी वृत उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, बारह वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रथम वृति उन्नयन और अगले बारह वर्षो की सेवा कुल 24 वर्षो की नियमित सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय वृति उन्नयन योजना का लाभ दिया जायेगा।

पुनः बिहार सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–3एम.–2–5वे–पू. –28/99 दिनांक–23–03–06 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–01–01–96 से पूर्व लागू प्रवर कोटि/कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन प्राप्त वृति उन्नयन को ए0सी0पी0 योजना के निमित वृति उन्नयन नहीं माना जायेगा । (अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य खाद्य निगम के अधिकांश कर्मियों को विगत 15–20 वर्षो में वृति उन्नयन का लाभ नही मिला है जिससे निगम कर्मियों में क्षोभ है । राज्य खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा भी राज्य कर्मियों के अनुरूप ए0सी0पी0 की सुविधा निगम कर्मियों को देने हेतु बराबर मांग की जा रही है ।कालबद्ध प्रोन्नति एवं प्रवर कोटि की सुविधाओं की समाप्ति के कारण केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण के तहत निर्धारित वेतन में अनेक कार्मिक गत्यावरोध पार कर गये हैं । इस कारण से कर्मियों की यथार्थ वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के कर्मियेां की भाँति निगम कर्मियों के लाभार्थ बिहार राज्य खाद्य निगम में भी सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना लागू की जाय।

निगम में सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना लागू करने पर निगम को अनुमानतः 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह वित्तीय भार पड़ेगा।

06

निगम विगत वर्षो में कुशल कार्य प्रबंधन एवं कार्मिकों के अनवरत प्रयास के फलरूवरूप वित्तीय रूप से काफी सुदृढ़ हो गया है । बिना किसी सरकारी अनुदान के निगम अपने संसाधनों से लाभ उपार्जित कर 87 करोड़ रूपये बिहार राज्य विकास ऋण योजना 2015 में निवेश कियाहै । इसके अतिरिकत निगम द्वारा सूद के मद में राज्य सरकार को 20 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया गया है । इस प्रकार राज्य कर्मियों के अनुरूप ए0सी0पी0 का लाभ निगम कर्मियों को प्रदान करने के फलस्वरूप पड़ने वाले अधिक बोझ को अपने संसाधनों से वहन करने में निगम सक्षम है ।

अतः राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप निगम कर्मियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान करने हेत निगम निदेशक पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है ।

10/6/08

प्रबन्ध निदेशक।